भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 59
(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 1 दिसंबर, 2025/10 अग्रहायण, 1947(शक) को दिया जाना है)

माल और सेवा कर संबंधी प्रतिपूर्ति का बंद किया जाना

59. श्री अरुण नेहरू:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जून 2022 के बाद सरकार द्वारा राज्यों को माल और सेवा कर (जीएसटी) संबंधी प्रतिपूर्ति को बंद किए जाने के संबंध में ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा उक्त अवधि के बाद जीएसटी संबंधी प्रतिपूर्ति को बंद किए जाने के क्या कारण बताए गए हैं;
(ग) जीएसटी संबंधी प्रतिपूर्ति को बंद किए जाने के परिणामस्वरूप तमिलनाडु राज्य को होने वाली अनुमानित वार्षिक राजस्व हानि कितनी है; और
(घ) सरकार द्वारा राज्य को हुए उक्त नुकसान की भरपाई के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है या प्रस्तावित है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख):- संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 18 के अनुसार, संसद, विधि द्वारा वस्तु एवं सेवा कर परिषद की अनुशंसा पर, पांच वर्षों की अवधि के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने के कारण होने वाली राजस्व की हानि के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी। तद्नुसार, संसद द्वारा जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 लागू किया गया। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पांच वर्ष (यानी) जून 2022 तक की अवधि तक जीएसटी प्रतिपूर्ति प्रदान की गई।
(ग) और (घ) उपरोक्त (क) और (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

*****